

*Affiliation Letters*

*for*

*Self-financing subjects*

*started under the banner of*

*janabhagidari samiti*



## विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

क्रमांक / अकादमिक / 08 / 913

### सूचना

दिनांक : 11-8-08

शिक्षा सत्र 2008-09 में नवीन पाठ्यक्रम / विषय एवं पूर्व संचालित पाठ्यक्रम / विषय की आगामी कक्षा / निरंतरता हेतु सम्बद्धता प्रदान करने के लिये, आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर निरीक्षण समिति की अनुशंसाओं को कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 14.07.2008 के निर्णय क्र. (6) के अनुपालन में कार्यपरिषद् की स्वीकृति की प्रत्याशा में कुलपतिजी द्वारा महाविद्यालय को सत्र 2008-09 में निम्नलिखित विवरणानुसार “नितांत अस्थायी सम्बद्धता” प्रदान की जाती है :-

(अ) महाविद्यालय का नाम : शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय, उज्जैन।  
(ब) कक्षा / विषय / पाठ्यक्रम : बी.एससी. प्रथम वर्ष (बायोइन्फार्मेटिक्स)

1. यह अस्थायी सम्बद्धता उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन भोपाल द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर प्रदान की गई है।
2. यह सम्बद्धता पूर्णतः अस्थायी है तथा शर्तों की पूर्ति के प्रतिबंध पर प्रदान की जा रही है।
3. निरीक्षण समिति की शर्तों की पूर्ति न होने पर यह सम्बद्धता स्वतः ही निरस्त मानी जाए।

शर्त :-

1. आवेदित पाठ्यक्रम हेतु उपलब्ध शिक्षकों की संख्या कम है। अतः न्यूनतम 2 शिक्षकों की व्यवस्था और की जावें।
2. आवेदित पाठ्यक्रम हेतु न्यूनतम 100 पुस्तकों की व्यवस्था और की जावें।
3. महाविद्यालय द्वारा यदि आवेदित पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित शुल्क जमा नहीं कराया गया हो तो आवश्यक रूप से दो दिवस में जमा करावें तथा वांछित शर्तों की पूर्ति आवश्यक रूप से नियत अवधि में करें। निश्चित / स्वीकृत संख्या से अधिक स्थानों पर प्रवेश दिए जाने पर विपरीत कार्यवाही की जावेगी। तथा इसके लिए महाविद्यालय ही जवाबदार होगा।  
(टीप : उक्त शर्तों की पूर्ति न होने पर यह अनुमति स्वमेव निरस्त समझी जावेगी)

आदेशानुसार

*[Signature]*

सहायक कुलसचिव (अकादमिक)

दिनांक : 11-8-08

क्रमांक / अकादमिक / सम्बद्धन / 08 / 913A

प्रतिलिपि :-

1. प्राचार्य, संबंधित महाविद्यालय,।
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, (अ.शा. महा. शाखा) सतपुड़ा भवन, भोपाल।
3. उपकुलसचिव, परीक्षा विभाग, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन
4. सहायक कुलसचिव, परीक्षा / गोपनीय / लेखा विभाग, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।

*[Signature]*  
Principal

Govt. Madhav Vigyan Mahavidyalaya

UJAIN (M.P.)  
Page no. 59

*[Signature]*  
प्राचार्य

शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय  
उज्जैन म. प्र.

*[Signature]*

सहायक कुलसचिव (अकादमिक)





## विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धन/2006/712

दिनांक : 18-4-07

प्रति,

प्राचार्य,  
माधव विज्ञान महाविद्यालय, देवास रोड,  
उज्जैन

विषय :- विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 24 (xii) एवं धारा 35 (j) के तहत निर्मित परिनियम क्र. 27 के खण्ड 11 के अंतर्गत सत्र 2006-2007 से बी.एससी. प्रथम वर्ष में अतिरिक्त विषय बायोटेक्नोलॉजी की सम्बद्धता।

महोदय,

उपरोक्त विषय में आदेशानुसार सूचित किया जाता है कि कार्यपरिषद् की बैठक दि. 28.06.06 के परिपालन में आपके महाविद्यालय में सत्र 2006-2007 से "बी.एससी. प्रथम वर्ष" में अतिरिक्त विषय (i) बायोटेक्नोलॉजी प्रारंभ करने हेतु अस्थायी सम्बद्धता दी जाती है :-

1. परिनियम क्र. 27 के अनुसार द्वितीय वर्ष की कक्षाएं प्रारंभ करने के पूर्व नियमानुसार सम्बद्धता आवेदन पत्र निर्धारित सम्बद्धता शुल्क तथा म.प्र. शासन की अनुमति के साथ निर्धारित तिथि के पूर्व विश्वविद्यालय में जमा करावे। सम्बद्धता पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही छात्रों को द्वितीय वर्ष में प्रवेश देवे। उपरोक्तानुसार कार्यवाही कर विश्वविद्यालय को सूचित करे।

उपकुलसचिव (अकादमिक)

Pr

दिनांक :

क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धन/2006/

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त उच्चशिक्षा विभाग सतपुड़ा भवन, भोपाल।
2. निदेशक महाविद्यालयीन विकास परिषद् विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन।
3. उपकुलसचिव, (परीक्षा) विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन।
4. सहायक कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय/लेखा) विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
5. संकायाध्यक्ष, विद्यार्थी कल्याण विभाग, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

सहायक कुलसचिव (अकादमिक)



समस्त पत्र-व्यवहार  
कुलसचिव को संबोधित किया  
जाय, किसी अन्य अधिकारी  
के नाम से नहीं। सम्बन्धित  
विषय पर यदि पूर्व में पत्र-  
व्यवहार हुआ हो तो उसके  
क्रमांक और दिनांक का  
संनिवार्यतः उल्लेख किया  
जाना चाहिए, अन्यथा कोई  
कार्यवाही नहीं की जावेगी।

क्रमांक 2175  
70-8-2000

भाष : कुलसचिव कार्या. 552072, निवास 552074  
प्रशासनिक कार्या. 551212, 551215, 552077  
प्रेष : विश्वविद्यालय  
दिनांक : (0734) 552076

प्रश्ना.सम्ब./2000

## विक्रम विश्वविद्यालय



उज्जैन

दिनांक \_\_\_\_\_ 19

Today

प्रेषक :

कुलसचिव,  
विक्रम विश्वविद्यालय,  
उज्जैन।

प्राप्त :

✓ प्राचार्य,  
माध्यम विज्ञान महाविद्यालय,  
उज्जैन।



विषय :- महाविद्यालय में बी.एस.सी.भाग-1 में कम्प्यूटर साइन्स, कम्प्यूटर एप्लीकेशन  
स्व माइक्रो बायोलॉजी विषय में नितान्त अस्थायी सम्बद्धता सत्र 2000-2001  
सन्दर्भ :- के सिद्धे प्रकाश करण (सं) लखनऊ

महोदय,

उपर्युक्त विषय में निवेदन है कि कार्य-परिषद् की बैठक दिनांक --  
25/27.7.2000 के निर्णयानुसार महाविद्यालय में बी.एस.सी.भाग-1 में कम्प्यूटर साइन्स,  
कम्प्यूटर एप्लीकेशन स्व माइक्रो बायोलॉजी विषय में निम्नांकित सम्बद्धता शर्तों  
की पूर्ति करने के प्रतिबंध पर सत्र 2000-2001 के नितान्त अस्थायी सम्बद्धता प्रदान  
की जाती है। परिचय क्र. 27 के प्राधानान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति  
कर प्रमाण सहित प्रतिवेदन शीघ्र भेजने का कट करें।

प्रतिबंध की शर्तें : बी.एस.सी.भाग-1, कम्प्यूटर साइन्स, कम्प्यूटर एप्लीकेशन स्व  
माइक्रो बायोलॉजी

1. महाविद्यालय में बी.एस.सी.भाग-1 में कम्प्यूटर साइन्स विषय में 30 छात्र,  
कम्प्यूटर एप्लीकेशन विषय में 30 छात्र स्व माइक्रो बायोलॉजी विषय में 20 छात्रों  
को प्रवेश देगा।
2. आवश्यक साफ्ट वेयर स्ववित्तीय योजना मद से लिये जायें।
3. शिक्षकों की अनुबंध के आधार पर व्यवस्था करके सूची प्रस्तुत करें।
4. आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन, भोपाल से उक्त विषय प्रारंभ करने  
का अनापत्ति प्रमाण-पत्र। विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करें।

आपके महाविद्यालय को प्रदत्त अस्थायी सम्बद्धता केवल 30 जून 2001 तक  
प्रभावशील रहेगी इस अवधि के पश्चात् अस्थायी सम्बद्धता शुल्क जमा नहीं करने की  
स्थिति में सम्बद्धता स्वतः समाप्त हो जावेगी।

कम्प्यूटर साइन्स  
माइक्रो बायोलॉजी विभाग  
को नोट कराया।

दिनांक 12/5/2000  
12/5/2000

भद्रीय,

21/5/2000  
कुलसचिव





## विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

क्रमांक/अकादमिक/07/1549/यू-1

दिनांक : 30.7.07

### सूचना

शिक्षा सत्र 2007-08 में नवीन पाठ्यक्रम/विषय एवं पूर्व संचालित पाठ्यक्रम/विषय की आगामी कक्षा/निरंतरता हेतु सम्बद्धता प्रदान करने के लिये, आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर निरीक्षण समिति की अनुशंसाओं को विद्यापरिषद् की स्थायी समिति (बैठक दि. 28.07.07) द्वारा अनुमोदित किया गया है।

तदुपरान्त, कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 18.06.06 के निर्णय क्र. 14 (XXII)] के अनुपात में कुलपतिजी द्वारा कार्यपरिषद् की स्वीकृति की प्रत्याशा में महाविद्यालय को सत्र 2007-08 में निम्नांकित विवरणानुसार “बिनांत अस्थायी सम्बद्धता” प्रदान की जाती है :-

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| (अ) महाविद्यालय का नाम         | शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय, उज्जैन                                     |
| (ब) स्वीकृत विषय/पाठ्यक्रम (i) | B.Sc. I (इलेक्ट्रॉनिक्स/ इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी/ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री) |
|                                | <u>अधिकतम प्रवेश संख्या - 30 (प्रति विषय)</u>                               |
| (ii)                           | B.Sc. II (बायोटेक्नोलॉजी)   |

सम्बद्धता की विस्तृत शर्तें पृथक से प्रेषित की जावेगी।

क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धन/07/1550/यू-1

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, (अ.शा. महा. शाखा) सतपुड़ा भवन, भोपाल।
2. निदेशक, महाविद्यालयीन विकास परिषद् वि. वि. उज्जैन।
3. उपकुलसचिव, परीक्षा विभाग, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन
4. सहायक कुलसचिव, परीक्षा/गोपनीय/लेखा विभाग, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
5. संकायाध्यक्ष, विद्यार्थी कल्याण विभाग, वि. वि. उज्जैन।

AA. lhm



उपकुलसचिव (परीक्षा)

Handwritten notes and signatures on the left side of the page, including dates like 4/2/07 and 13/8/07.

Handwritten signature and date 30/7/07 on the right side of the page.



समस्त पत्र-व्यवहार कुलसचिव को संबोधित किया जाय, किसी अन्य अधिकारी के नाम से नहीं। सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र-व्यवहार हुआ हो तो उसके क्रमांक और दिनांक का अनिवार्यतः उल्लेख किया जाना चाहिए, अन्यथा कोई कार्यवाही नहीं की जावेगी।

2175  
70-5-2000

माप : कुलसचिव कार्या. 552072, निवास 552074  
प्रशासनिक कार्या. 551212, 551215, 552077  
द्वि : विश्वविद्यालय  
फ़ोन : (0734) 552076

प्रशा.सम्ब./2000  
विक्रम विश्वविद्यालय



उज्जैन

दिनांक \_\_\_\_\_ 19

Tuesday

सेवाक :  
कुलसचिव,  
विक्रम विश्वविद्यालय,  
उज्जैन।

प्राचार्य,  
माध्यम विज्ञान महाविद्यालय,  
उज्जैन।



विषय : महाविद्यालय में बी.एस.सी.भाग-1 में कम्प्यूटर साइन्स, कम्प्यूटर एप्लीकेशन एवं माइक्रो बायलाजी विषय में नितान्त अस्थायी सम्बद्धता सत्र 2000-2001 के लिए प्रदान करने के लिए।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में निवेदन है कि कार्य-परिषद् की बैठक दिनांक 25/27.7.2000 के निर्णयानुसार महाविद्यालय में बी.एस.सी.भाग-1 में कम्प्यूटर साइन्स, कम्प्यूटर एप्लीकेशन एवं माइक्रो बायलाजी विषय में निम्नांकित सम्बद्धता शर्तों की पूर्ति करने के प्रतिबन्ध पर सत्र 2000-2001 में नितान्त अस्थायी सम्बद्धता प्रदान की जाती है। परिचय क्र. 27 के प्रावधानान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति कर प्रमाण सहित प्रतिवेदन शीघ्र भेजने का कष्ट करें।

प्रतिबन्ध की शर्तें : बी.एस.सी.भाग-1, कम्प्यूटर साइन्स, कम्प्यूटर एप्लीकेशन एवं माइक्रो बायलाजी

1. महाविद्यालय में बी.एस.सी.भाग-1 में कम्प्यूटर साइन्स विषय में 30 छात्र, कम्प्यूटर एप्लीकेशन विषय में 30 छात्र एवं माइक्रो बायलाजी विषय में 20 छात्रों को प्रवेश देगा।
2. आवश्यक साफ्ट वेयरस स्ववित्तीय योजना मद से लिये जायें।
3. शिक्षकों की अनुबंध के आधार पर व्यवस्था करके सूची प्रस्तुत करें।
4. आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन, भोपाल से उक्त विषय प्रारंभ करने का अनापत्ति प्रमाण-पत्र। विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करें।

आपके महाविद्यालय को प्रदत्त अस्थायी सम्बद्धता केवल 30 जून 2001 तक प्रभावशील रहेगी इस अवधि के पश्चात् अस्थायी सम्बद्धता शुल्क जमा नहीं करने की स्थिति में सम्बद्धता स्वतः समाप्त हो जावेगी।

कंप्यूटर साइंस  
माइक्रो बायलाजी विभाग  
को नोट करार।

Handwritten signatures and dates: 12/5/2000

भदोय,  
कुलसचिव



समस्त पत्र-व्यवहार  
कुलसचिव को संबोधित किया  
जाय, किसी अन्य अधिकारी  
के नाम से नहीं। सम्बन्धित  
विषय पर यदि पूर्व में पत्र-  
व्यवहार हुआ हो तो उसके  
कामांक और दिनांक का  
बनिबारायतः उल्लेख किया  
जाना चाहिए, अन्यथा कोई  
कार्यवाही नहीं की जावेगी।

क्रमांक 2175  
70-5-2000  
प्रश्ना.सम्ब.2000

माघ : कुलसचिव कार्या. 552072, निवास 552074  
प्रशासनिक कार्या. 551212, 551215, 552077  
श्रेय : विररविद्यालय  
फ़ोन : (0734) 552076

**विक्रम विश्वविद्यालय**



उज्जैन

दिनांक \_\_\_\_\_ 19

Tuesday

श्रेयक :

कुलसचिव,  
विक्रम विश्वविद्यालय,  
उज्जैन।

प्राप्ति :

✓ प्राचार्य,  
माध्यम विज्ञान महाविद्यालय,  
उज्जैन.



विषय :— महाविद्यालय में बी.स्स-सी.भाग-1 में कम्प्युटर साइन्स, कम्प्युटर एप्लीकेशन  
स्व. माइक्रो बायलाजी विषय में नितान्त अस्थायी सम्बद्धता सत्र 2000-2001  
सम्बन्ध :— के सिद्धे प्रदान करने सम्बन्धी

महोदय,

उपर्युक्त विषय में निवेदन है कि कार्य-परिषद् की बैठक दिनांक

25/27.7.2000 के निर्णयानुसार महाविद्यालय में बी.स्स-सी.भाग-1 में कम्प्युटर साइन्स, कम्प्युटर एप्लीकेशन स्व. माइक्रो बायलाजी विषय में निम्नांकित सम्बद्धता शर्तों की पूर्ति करने के प्रतिबंध पर सत्र 2000-2001 में नितान्त अस्थायी सम्बद्धता प्रदान की जाती है। परिचय क्र. 27 के प्राधानान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति कर प्रमाण सहित प्रतिवेदन शीघ्र भेजने का कट करें।

प्रतिबंध की शर्तें : बी.स्स-सी.भाग-1, कम्प्युटर साइन्स, कम्प्युटर एप्लीकेशन स्व. माइक्रो बायलाजी

1. महाविद्यालय में बी.स्स-सी.भाग-1 में कम्प्युटर साइन्स विषय में 30 छात्र, कम्प्युटर एप्लीकेशन विषय में 30 छात्र स्व. माइक्रो बायलाजी विषय में 20 छात्रों को प्रवेश देगा।
2. आवश्यक साफ्ट वेयरस स्ववित्तीय योजना मद से लिये करे।
3. शिक्षकों की अनुबंध के आधार पर व्यवस्था करके सूची प्रस्तुत करें।
4. आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन, भोपाल से उक्त विषय प्रारंभ करने का अनापत्ति प्रमाण-पत्र। विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करें।

आपके महाविद्यालय को प्रदत्त अस्थायी सम्बद्धता केवल 30 जून 2001 तक प्रभावशील रहेगी इस अवधि के पश्चात् अस्थायी सम्बद्धता शुल्क जमा नहीं करने की स्थिति में सम्बद्धता स्वतः समाप्त हो जावेगी।

कम्प्यूटर साइंस  
माइक्रो बायलाजी विषय  
को नई शर्तें

12/8/2000  
14/8/2000

भद्रीय,  
21/8/00  
कुलसचिव





## विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

क्रमांक/अकादमिक/07/1549/यू-1

दिनांक : 30.7.07

### सूचना

शिक्षा सत्र 2007-08 में नवीन पाठ्यक्रम/विषय एवं पूर्व संचालित पाठ्यक्रम/विषय की आगामी कक्षा/निरंतरता हेतु सम्बद्धता प्रदान करने के लिये, आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर निरीक्षण समिति की अनुशंसाओं को विद्यापरिषद् की स्थायी समिति (बैठक दि. 28.07.07) द्वारा अनुमोदित किया गया है।

तदुपरान्त, कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 18.06.06 के निर्णय क्र. 14 (XXII)] के अनुपात में कुलपतिजी द्वारा कार्यपरिषद् की स्वीकृति की प्रत्याशा में महाविद्यालय को सत्र 2007-08 में निम्नलिखित विवरणानुसार “नितान्त अस्थायी सम्बद्धता” प्रदान की जाती है :-

- (अ) महाविद्यालय का नाम शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय, उज्जैन
- (ब) स्वीकृत विषय/पाठ्यक्रम (i) B.Sc.I (इलेक्ट्रॉनिक्स/ इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी/ फार्मास्यूटिकल केम्पस) अधिकतम प्रवेश संख्या - 30 (प्रति विषय)
- (ii) B.Sc. II (बायोटेक्नोलॉजी)

सम्बद्धता की विस्तृत शर्तें पृथक से प्रेषित की जावेगी।

क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धन/07/1550/यू-1

दिनांक : 30.7.07

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, (अ.शा. महा. शाखा) सतपुड़ा भवन, भोपाल।
2. निदेशक, महाविद्यालयीन विकास परिषद् वि. वि. उज्जैन।
3. उपकुलसचिव, परीक्षा विभाग, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन
4. सहायक कुलसचिव, परीक्षा/गोपनीय/लेखा विभाग, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
5. संकायाध्यक्ष, विद्यार्थी कल्याण विभाग, वि. वि. उज्जैन।

AA. lbm



उपकुलसचिव (परीक्षा)





## विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

क्रमांक/अकादमिक/07/1549/यू-1

दिनांक : 30.7.07

### सूचना

शिक्षा सत्र 2007-08 में नवीन पाठ्यक्रम/विषय एवं पूर्व संचालित पाठ्यक्रम/विषय की आगामी कक्षा/निरंतरता हेतु सम्बद्धता प्रदान करने के लिये, आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर निरीक्षण समिति की अनुशंसाओं को विद्यापरिषद् की स्थायी समिति (बैठक दि. 28.07.07) द्वारा अनुमोदित किया गया है।

तदुपरान्त, कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 18.06.06 के निर्णय क्र. 14 (XXII)] के अनुपालन में, कुलपतिजी द्वारा कार्यपरिषद् की स्वीकृति की प्रत्याशा में महाविद्यालय को सत्र 2007-08 में निम्नलिखित विवरणानुसार “नितांत अस्थायी सम्बद्धता” प्रदान की जाती है :-

(अ) महाविद्यालय का नाम शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय, उज्जैन

(ब) स्वीकृत विषय/पाठ्यक्रम (i) B.Sc.I (इलेक्ट्रानिक्स/ इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी/ फार्मास्यूटिकल केमेस्ट्री)  
अधिकतम प्रवेश संख्या - 30 (प्रति विषय)

(ii) B.Sc. II (बायाटेक्नोलॉजी)

सम्बद्धता की विस्तृत शर्तें पृथक से प्रेषित की जावेगी।

कुलसचिव


क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धन/07/1550/यू-1

दिनांक : 30.7.07

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, (अ.शा. महा. शाखा) सतपुड़ा भवन, भोपाल।
2. निदेशक, महाविद्यालयीन विकास परिषद् वि. वि. उज्जैन।
3. उपकुलसचिव, परीक्षा/विभाग, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
4. सहायक कुलसचिव, परीक्षा/गोपनीय/लेखा विभाग, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
5. संकायाध्यक्ष, विद्यार्थी कल्याण विभाग, वि. वि. उज्जैन।

A.A. Ibm



उपकुलसचिव (अकादमिक)





## विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

क्रमांक / अकादमिक / सम्बद्धन / 3439

दिनांक 2-8-09

सूचना :-

शिक्षा सत्र 2009-10 में नवीन पाठ्यक्रम / नवीन विषय / पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की आगामी कक्षा निरस्त हेतु सम्बद्धता प्रदान करने के लिये, आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर निरीक्षण समिति की अनुशंसाओं को विद्यापीठ की स्थायी समिति द्वारा (बैठक दि 08.04.2009 एवं 17.7.2009) में अनुमोदित किया गया है। शासन द्वारा सम्बद्ध हेतु निर्धारित अंतिम तिथि की विशेष परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए कुलपति जी द्वारा मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय नियम 1973 की धारा 15 (4) के तहत कार्यपरिषद् की शक्तियों का उपयोग करते हुए महाविद्यालय का सत्र 2009 हेतु निम्नलिखित विवरणानुसार सम्बद्धता की प्रावधिक अनुमति प्रदान की है :-

- (अ) महाविद्यालय का नाम :- शा.माधव विज्ञान महाविद्यालय, उज्जैन
- (ब) कक्षा / विषय / पाठ्यक्रम :- M.Sc. Final (Chemistry, Zoology, Botany)  
(अनुशासित अधिकतम स्थान संख्या प्रत्येक विषय हेतु 25  
B.C.A. I  
(अनुशासित अधिकतम स्थान संख्या 60)

- 01 यह प्रावधिक अनुमति उच्चशिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र के अभाव पर प्रदान की गई है।
- 02 यह अनुमति पूर्णतः प्रावधिक है।

शर्त-1 महाविद्यालय द्वारा यदि आवेदित पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित शुल्क जमा नहीं कराया गया हो तो उक्त रूप से दो दिवस में जमा करावे तथा वांछित शता की पूर्ति आवश्यक रूप से नियत अवधि में कराने पर निर्दिष्ट / स्वीकृत संख्या से अधिक स्थानों पर प्रवेश दिए जाने पर विपरीत कार्यकारी की जावेगी। इसके लिए महाविद्यालय ही जवाबदार होगा।  
(टीप - उक्त शर्तों की पूर्ति न होने पर यह अनुमति स्वमेव निरस्त समझी जावेगी।)

*Prakash*  
09  
*Prakash*  
10-8-09



आदेशानुसार  
*Sudya*  
उपकुलसचिव अकादमिक  
दिनांक 2-8-09

क्रमांक / अकादमिक / सम्बद्धन / 3440  
प्रतिलिपि :-

- 01 प्राचार्य, संबंधित महाविद्यालय।
- 02 आयुक्त, उच्चशिक्षा विभाग (अ.शा.महा शाखा) सतपुड़ा भवन, भोपाल।
- 03 कुलपतिजी एवं कुलसचिवजी के निजी सहायक, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
- 04 निदेशक, महाविद्यालयीन विकास परिषद्, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
- 05 उपकुलसचिव, परीक्षा विभाग, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
- 06 सहायक कुलसचिव, परीक्षा / गोपनीय / लेखा विभाग, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।

*Prakash*  
21/6/09  
*Prakash*  
12-8-09

*Prakash*

*Prakash*  
13-8-09

*Sudya*  
उपकुलसचिव अकादमिक  
*Prakash*





## विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

क्रमांक/अका./सम्बद्धन/2012/7042

दिनांक :- 22/6/12

प्रति,

प्राचार्य,  
शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय,  
देवास रोड, उज्जैन।

विषय :- विश्वविद्यालय, अधिनियम 1973 की धारा 24(XIII) एवं धारा 35(j) के तहत निर्मित परिनियम क्र. 27 अन्तर्गत सम्बद्धता प्रदान करने विषयक।

शिक्षा सत्र 2012-13 में नवीन संकाय/नवीन विषय/आगामी कक्षा की सम्बद्धता प्रदान करने के लिये परिनियम 27 के प्रावधानानुसार विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति की अनुशंसा को वर्तमान में धारा 52 (4) के तहत माननीय कुलपतिजी द्वारा अनुमोदित किया गया है, तदोपरान्त कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 15.06.2012 के निर्णयानुसार आपके महाविद्यालय को सत्र 2012-13 से निम्न विवरणानुसार शर्तों के अधीन नितान्त अस्थायी सम्बद्धता प्रदान की जाती है :-

कक्षा/विषय/पाठ्यक्रम :-

- (1) एम.एससी.-पूर्वार्द्ध (एप्लाइड माईक्रोबायोलॉजी)(अनुशंसित अधिकतम प्रवेश संख्या 30)

महाविद्यालय द्वारा निम्न शर्तों की पूर्ति शीघ्र की जावे :-

01. यू.वी. स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एवं इन्क्यूबेटर, क्रय किये जाये।
02. पुरतको की अतिरिक्त प्रतियाँ मंगवाये।
03. आवश्यक संख्या में अतिथि व्याख्याताओं की नियुक्ति की जाये।

टीप :- 01 उपरोक्त विषय/पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु शासन से निर्देश प्राप्त कर पालन करना सुनिश्चित करें एवं निश्चित/स्वीकृत संख्या से अधिक स्थानों पर प्रवेश न दिए जावे, अन्यथा विपरित कार्यवाही की जावेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तर दायित्व महाविद्यालय का होगा।

- 02 पत्र प्राप्ति के पश्चात महाविद्यालय को छः माह के भीतर समस्त अधिरोपित शर्तें पूर्ण करने का शपथ पत्र एक सप्ताह में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। शर्तें छः माह में पूर्ण न होने पर सम्बद्धता स्वमेव निरस्त समझी जावेगी।

यह अस्थाई सम्बद्धता उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन, भोपाल के पत्र क्रमांक/1028/Ε52/आउशि/योजना/2012, दिनांक 14.05.2012 द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर प्रदान की गई है।

आदेशानुसार

उपकुलसचिव (अकादमिक)

दिनांक :- 22/6/12

क्रमांक/अका./सम्बद्धन/2012/7043

प्रतिलिपि :-

01. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन, सतपुडा भवन, भोपाल।
02. क्षेत्रिय अतिरिक्त संचालक, इन्दौर - उज्जैन संभाग, मोती का तबेला इंदौर।
03. निदेशक, महाविद्यालयीन विकास परिषद् विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
04. सहायक कुलसचिव, परीक्षा/गोपनीय विभाग, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।

1927

23/6/12

सहायक कुलसचिव (अकादमिक)





# विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

क./अका./सम्बद्धन/2010/8906

प्रति,

प्राचार्य,  
शा.नाथव विज्ञान महाविद्यालय, उज्जैन

दिनांक :-

31-7-10

विषय :- सत्र 2010-11 हेतु अस्थायी सम्बद्धता प्रदान किये जाने विषयक ।

शिक्षा सत्र 2010-11 में नवीन पाठ्यक्रम / नवीन विषय / सीट वृद्धि / पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की आगामी कक्षा निरन्तरता हेतु सम्बद्धता प्रदान करने के लिये आपके आवेदन पर निरीक्षण समिति की अनुसंसाओं को विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 30 एवं 31 जुलाई 2010 में अनुमोदित किया गया है । अनुमोदन उपरान्त कुलपतिजी द्वारा कार्यपरिषद् की स्वीकृति की प्रत्याशा में आपके महाविद्यालय को सत्र 2010-11 से निम्न विवरणानुसार शर्तों के अधीन नितान्त अस्थायी सम्बद्धता प्रदान की जाती है ।

कक्षा / विषय / पाठ्यक्रम -

बी.सी.ए.	-	द्वितीय वर्ष	(अनुशासित अधिकतम स्थान संख्या 60)
बी.एस.सी.	-	तृतीय वर्ष	(बायोइन्फॉर्मेटिक्स) (अनुशासित अधिकतम स्थान संख्या 60)
एम.एस.सी.	-	पूर्वाह्न	(इन्टरनेट फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री) (अनुशासित अधिकतम स्थान संख्या 35)

शर्तें :-

01 महाविद्यालय द्वारा यदि आवेदित पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित शुल्क जमा नहीं कराया गया हो तो आवश्यक रूप से दो दिवस में जमा कराये । निश्चित / स्वीकृत संख्या से अधिक स्थानों पर प्रवेश दिये जाने पर विपरित कार्यवाही की जायेगी तथा इसके लिये महाविद्यालय ही जवाबदार होगा ।

टीप :- उपरोक्त शर्तें पूर्ण न होने पर सम्बद्धता स्वमेव निरस्त समझी जायेगी।

- |    |   |
|----|---|
| 01 | यह अस्थायी सम्बद्धता उच्चशिक्षा विभाग, म.प्र.शासन, भोपाल द्वारा जारी अनारबित प्रमाण पत्र के आधार पर प्रदान की गई है । |
| 02 | यह सम्बद्धता पूर्णतः अस्थायी है ।   |

आदेशानुसार

*[Signature]*

सहायक कुलसचिव (अकादमिक)

दिनांक -

31-7-10

क./अका./सम्बद्धन/2010/8906

प्रतिलिपि :-

- 01 आयुक्त, उच्चशिक्षा, म.प्र.शासन, (अशासकीय संस्थाएँ) सतपुड़ा भवन, भोपाल ।
- 02 क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, इन्दौर उज्जैन संभाग, मांती तबला, इन्दौर ।
- 03 निदेशक महाविद्यालयीन विकास परिषद्, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन ।
- 04 सहायक कुलसचिव (परीक्षा / गोपनीय / अकादमिक) विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन ।



Principal

Dr. Madhav Varan Mahendrapal  
UJJAIN (M.P.)

*[Signature]*

सहायक कुलसचिव (अकादमिक)





## विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

क्र./अक्र./सम्बद्धन/2011/2904

दिनांक :- 30-7-11

साध्य

साधव विज्ञान महाविद्यालय,  
उज्जैन।

विषय :- विश्वविद्यालय, अधिनियम 1973 की धारा 24(XIII) एवं धारा 35(j) के तहत निर्मित परिनियम क्र. 27 वं खण्ड 11 के अन्तर्गत सम्बद्धता प्रदान करने विषयक।

शिक्षा सत्र 2011-12 में नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय/पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की आगामी कक्षा निरन्तरता हेतु सम्बद्धता प्रदान करने के लिये विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति की अनुशंसाओं को कुलपतिजी द्वारा धारा 52(4) एवं 15 (4) के अंतर्गत अनुमोदन किया गया है, तदोपरांत कार्यपरिषद् के अनुमोदन की प्रत्याशा में परिनियम 27 के अंतर्गत आपके महाविद्यालय को सत्र 2011-12 से निम्न विवरणानुसार शर्तों के अधीन नितान्त अस्थायी सम्बद्धता प्रदान की जाती है।

कक्षा/विषय/पाठ्यक्रम :-

1) एम.एससी. - पूर्वाद्ध, गणित (अनुशंसित अधिकतम स्थान संख्या 40)

महाविद्यालय द्वारा निम्न शर्तों की पूर्ति शीघ्र की जावे :-

01. निश्चित/संकीर्ण संख्या से अधिक स्थानों पर प्रवेश दिये जाने पर विपरित कार्यवाही की जावेगी तथा इसके लिये महाविद्यालय ही उत्तरदायी होगा।
02. सम्बद्ध विषय/पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु शासन से निर्देश प्राप्त कर पालन सुनिश्चित करें।
03. स्नातकोत्तर कक्षाओं के शिक्षण हेतु अनुभवी प्राध्यापकों की नियुक्ति की जावे।

टीप :- पत्र प्राप्ति के पश्चात एक सप्ताह के अन्दर महाविद्यालय को छः माह के भीतर समस्त अधिशेषित शर्तें पूर्ण करने का शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। शर्तें छः माह में पूर्ण न होने पर सम्बद्धता स्वमेव निरस्त समझी जावेगी।



आदेशानुसार

उपकुलसचिव (अकादमिक)

दिनांक :- 30-7-11

क्र./अक्र./सम्बद्धन/2011/2905

प्रतिलिपि :-

01. आह्वक, उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
02. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, इन्दौर - उज्जैन संभाग, मोती का तबेला इंदौर।
03. निदेशक, महाविद्यालयीन विकास परिषद् विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
04. सहयक कुलसचिव, परीक्षा/गोपनीय विभाग, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।

प्रा. 15/8/11  
26-8-11

सहायक कुलसचिव (अकादमिक)



विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धता/2017/120  
प्रति,

दिनांक : 3/6/17

प्राचार्य,  
शा.माधव विज्ञान महाविद्यालय,  
उज्जैन।

विषय :- शा. माधव विज्ञान महाविद्यालय का नाम सत्र 2017-18 की प्रवेश प्रक्रिया हेतु म.प्र.शासन के पोर्टल पर दर्ज कराने के संबंध में।

संदर्भ :- महाविद्यालय का पत्र क्रमांक/609, दिनांक 03.06.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि, आपके द्वारा शैक्षणिक सत्र 2017-18 में निम्नानुसार विषयों की सम्बद्धता हेतु आवेदन पत्र शुल्क एवं मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ विश्वविद्यालय में प्रस्तुत किया गया है :-

क्रं.	पाठ्यक्रम	सीट संख्या
01.	<u>पी.जी.डिप्लोमा इन योगा</u> (एक वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम)	60
02.	<u>पी.जी.डी.सी.ए.</u> (एक वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम)	60

उक्त विषयों की सम्बद्धता प्रकरण प्रक्रियाधीन है, सक्षम स्वीकृति उपरांत शीघ्र सम्बद्धता जारी कर दी जावेगी।

आदेशानुसार

*Rishabh*  
कुलसचिव

नोट :- यह पत्र केवल म.प्र. शासन के पोर्टल पर उक्त महाविद्यालय का नाम दर्ज कराने एवं प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ करने हेतु जारी किया जा रहा है। छात्रों की परीक्षा सम्बद्धता पत्र जारी होने के पश्चात ही आयोजित कराई जावेगी।

क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धता/2017/121

दिनांक : 3/6/17

प्रतिलिपि :-

01. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा उज्जैन संभाग, शा.माधव विज्ञान महाविद्यालय, उज्जैन।
02. प्राचार्य, शा.कालिदास कन्या ज्ञानकोशसंस्थान(अग्रणी) महाविद्यालय, उज्जैन की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि, शैक्षणिक सत्र 2017-18 से प्रवेश प्रक्रिया हेतु उक्त महाविद्यालय का नाम मध्यप्रदेश शासन, भोपाल के पोर्टल पर अपलोड किये जाने की कार्यवाही संपादित करने का कष्ट करें।
03. निदेशक, महाविद्यालयीन विकास परिषद, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
04. उप/सहायक कुलसचिव, परीक्षा/गोपनीय विभाग, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
05. प्रभारी, ऑनलाईन सेंटर, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
06. माननीय कुलपतिजी/कुलसचिव जी के निजी रजिस्टर, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

उपकुलसचिव(अकादमिक)



**विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन**

क्रमांक/अकादमिक/संवत्सरा/2017/120

दिनांक : 3/6/17

प्रति,  
 प्राचार्य,  
 शा.मा.वि. विज्ञान महाविद्यालय,  
 उज्जैन।

विषय :- श. मा.वि. विज्ञान महाविद्यालय का नाम पत्र 2017-18 की प्रवेश प्रक्रिया हेतु स.प्र.शासन के पोर्टल पर दर्ज करने के संबंध में।

संदर्भ :- महाविद्यालय का पत्र क्रमांक/609.दिनांक 03.06.2017

महोदय,

आरोक विद्यार्थ्यान्तर्गत लेख है कि आपके द्वारा शैक्षा संज्ञ 2017-18 में लिम्नानुसार विषयों की सम्बद्धता हेतु आवेदन पत्र शुल्क एवं मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के अनापत्ति प्रमाण-पत्र ले महाविद्यालय में प्रस्तुत किया गया है :-

क्र.	पाठ्यक्रम	सीट संख्या
01.	पी.जे.डिप्लोमा इन योग (एक वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम)	60
02.	<u>पी.जी.डी.सी.ए.</u> (एक वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम)	60

उक्त विषयों की सम्बद्धता परामर्श प्रक्रिया चल रही है, जो जल्द ही उपरोक्त विषय सम्बद्धता जारी कर दी जायेगी।

आदेशानुसार

*[Signature]*  
 कुलसचिव

नोट :- श. प्र. शासन के पोर्टल पर उक्त महाविद्यालय का नाम दर्ज करने एवं प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ करने हेतु जारी किया जा रहा है, छात्रों की प्रतीक्षा सम्बद्धता पत्र जारी होने के पश्चात् ही आयोजित कराई जायेगी।

क्रमांक/अकादमिक/संवत्सरा/2017/121

दिनांक 3/6/17

प्रतिलिपि :-

01. आचार्य, प्राचार्य, उच्च शिक्षा, उज्जैन संज्ञ ग. वि. शा.मा.वि. विज्ञान महाविद्यालय, उज्जैन।
02. आचार्य, शा.मा.वि. विज्ञान महाविद्यालय, उज्जैन।
03. आचार्य, शा.मा.वि. विज्ञान महाविद्यालय, उज्जैन।
04. आचार्य, शा.मा.वि. विज्ञान महाविद्यालय, उज्जैन।
05. आचार्य, शा.मा.वि. विज्ञान महाविद्यालय, उज्जैन।
06. आचार्य, शा.मा.वि. विज्ञान महाविद्यालय, उज्जैन।

उपकुलसचिव(अकादमिक)





## विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

क्रं./अका./सम्बद्धन/2011/4512  
प्रति,

दिनांक : 1/10/11

प्राचार्य,  
शा.भाधव विज्ञान महाविद्यालय,  
उज्जैन ।

विषय :- विश्वविद्यालय, अधिनियम 1973 की धारा 24(XIII) एवं धारा 35(j) के तहत निर्मित परिनियम क्र. 27 के खण्ड 11 के अन्तर्गत सम्बद्धता प्रदान करने विषयक।

शिक्षा सत्र 2011-12 में नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय/पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की आगामी कक्षा निरन्तरता हेतु सम्बद्धता प्रदान करने के लिये विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति की अनुशंसाओं को कुलपतिजी द्वारा धारा 52(4) एवं 15 (4) के अंतर्गत अनुमोदन किया गया है. तदोपरांत कार्यपरिषद् के अनुमोदन की प्रत्याशा में परिनिघ्न 27 के अंतर्गत आपके महाविद्यालय को सत्र 2011-12 से निम्न विवरणानुसार शर्तों के अधीन नितान्त अस्थायी सम्बद्धता प्रदान की जाती है।

कक्षा/विषय/पाठ्यक्रम :-

- (1) पी.जी. डिप्लोमा इन फार्मास्यूटीकल क्वालिटी कंट्रोल एण्ड क्वालिटी एश्योरेस मनेजमेन्ट  
(अनुशंसित अधिकतम स्थान संख्या 30)

महाविद्यालय द्वारा निम्न शर्तों की पूर्ति शीघ्र की जावे :-

01. महाविद्यालय में उक्त पाठ्यक्रमानुसार 50 पुस्तकें क्रय की जाये ।  
02. शासन के नियमों के अधीन समुचित संख्या में शिक्षकों (अतिथि विद्वानों) की नियुक्ति की जाये ।

- टीप :- 01. उपरोक्त विषय/पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु शासन से निर्देश प्राप्त कर पालन करना सुनिश्चित करें एवं निश्चित /स्वीकृत संख्या से अधिक स्थानों पर प्रवेश न दिए जाये, अन्यथा विषयित कार्यवाही की जावेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तर दायित्व महाविद्यालय का होगा ।  
02. पत्र प्राप्ति के पश्चात एक सप्ताह के अन्दर महाविद्यालय को छः माह के भीतर समस्त अधिरोपित शर्तें पूर्ण करने का शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। शर्तें पूरे माह में पूर्ण न होने पर सम्बद्धता स्वयं निरस्त समझी जावेगी।

\* यह अस्थायी सम्बद्धता उच्चशिक्षा विभाग, म.प्र.शासन भोपाल द्वारा जारी अनापत्ती प्रमाण-पत्र के आधार पर प्रदान की गई है ।

आदेशानुसार

उपकुलसचिव (अकादमिक)  
दिनांक : 1/10/11

क्रं./अका./सम्बद्धन/2011/4513

- प्रतिलिपि :- 01. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन, सतपुड़ा भवन, भोपाल ।  
02. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, इन्दौर - उज्जैन संभाग, मोती का तबेला इंदौर।  
03. निदेशक, महाविद्यालयीन विकास परिषद् विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।  
04. सहायक कुलसचिव, परीक्षा/गोपनीय विभाग, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।

सहायक कुलसचिव (अकादमिक)

प्र. शा.भाधव  
PRO-57  
10-10-11

Principal

Govt. Madhav Vigyan Mahavidyalaya  
UJJAIN (M.P.)



क्रमांक 1488 365/आउशि/गो/08

भोपाल, दिनांक 22-7-08

पते,

भोपाल,

शासकीय स्नातकोत्तर माधव विद्यान महाविद्यालय,

उज्जैन-400008

विषय: स्ववित्तीय योजनांतर्गत नवीन पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति प्रदान करने बाबत ।


संदर्भ:-आपका पत्र क्रमांक 853/08 दिनांक 3.4.2008

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्रावधान 26(1)पांच वं अंतर्गत आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा आपके महाविद्यालय में निम्न लिखित शर्तों के अंतर्गत नीचे दर्शित विषयों की कक्षाएँ अस्थायी रूप से सत्र 2008-09 से प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की जाती है :-

बी. एम. सी. बायोइंफार्मेटिक्स प्रथम वर्ष एक विषय के रूप में 8

नोट:-

1. उक्त पाठ्यक्रम हेतु किसी को शासकीय सेवा में नियुक्त नहीं किया जायेगा ।
2. कोई शासकीय अधिकारी/कर्मचारी स्ववित्तीय पाठ्यक्रम के तहत मानदेय प्राप्त नहीं करेगा
3. अध्यापन व्यवस्था अतिथि विद्वानों को आमंत्रित कर की जावे ।
4. विभिन्न मदों में किए जाने वाले व्यय में पूर्ण मितव्ययता बरती जावे ।
5. कोई नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया जावे ।
6. लिपिक, भृत्य आदि पृथक से न रखे जाये ।
7. शासन कोई अनुदान/वजट नहीं देगा ।
8. प्रवेश देने में प्रवेश नियमों का कड़ाई से पालन अनिवार्य रूप से किया जाये ।
9. कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं होगा ।
10. विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त किये बिना प्रवेश न दिये जायें ।



1. सत्र 2008-09 से प्रवेश प्रारंभ करने के लिये शैक्षणिक स्टाफ की पर्याप्त व्यवस्था हो ।
2. प्रयोगशाला की संपूर्ण सुविधायें प्रवेश प्रारंभ करने के पूर्व सुनिश्चित की जाय ।
3. म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग क पत्र क्रमांक एफ./331/1569/2007/2/38 दिनांक 18.2.08 के अनुसार कार्यवाही की जावे ।
4. शासन द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाये ।
5. यह प्रमाण-पत्र किसी महाविद्यालय को तब तक विषय प्रारंभ करने/नई कक्षाएँ प्रारंभ करने के लिये अधिकृत नहीं करेगा जब तक अधिनियम 1973 की धारा 24(X)के अंतर्गत विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता प्रदान नहीं कर दी जाती ।

(आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

अपर संचालक (योजना)  
- उच्च शिक्षा, म.प्र.

भोपाल, दिनांक

क्रमांक 365 / आउशि / गो. / 08

प्रतिलिपि-

1. कुलसचिव विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन 40000 की ओर सूचनार्थ एवं धारा 24(X) के अंतर्गत शीघ्र प्रतियेदन भेजने हेतु ।
2. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा क्षेत्रीय कार्यालय, इंदौर उज्जैन संभाग, इंदौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

पाचार्य

अपर संचालक (योजना)

Principal  
Govt. Madhav Vigyan Ma  
UJJAIN M.P.



कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा म.प्र. शासन  
सतपुड़ा भवन भोपाल

क्रमांक 2002/1101/आउशि/यो./05  
प्रति,



भोपाल, दिनांक- 29/11/06

प्राचार्य,  
शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय  
उज्जैन (म.प्र.)

विषय- स्ववित्तीय योजनांतर्गत नवीन पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र ।

सन्दर्भ- आपके पत्र क्रमांक 2762/2005 दिनांक 27.12.05 एवं 2038 दिनांक निल

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्रावधान 26 (1) पांच के अंतर्गत आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा आपके महाविद्यालय में निम्नलिखित शर्तों के अंतर्गत नीचे दर्शित विषयों की कक्षाएँ अस्थायी रूप से सत्र 2006-07 से प्रारंभ करने की कार्योत्तर अनुमति प्रदान की जाती है :-


(1) स्नातक स्तर पर जैब प्रौद्योगिकी - प्रथम वर्ष

नोट-

1. उक्त पाठ्यक्रम हेतु किसी को शासकीय सेवा में नियुक्त नहीं किया जायेगा ।
2. कोई शासकीय अधिकारी/कर्मचारी स्ववित्तीय पाठ्यक्रम के तहत मानदेय प्राप्त नहीं करेगा ।
3. अध्यापन व्यवस्था अतिथि विद्वानों को आमंत्रित कर की जावे ।
4. विभिन्न मदों में किए जाने वाले व्यय में पूर्ण मितव्ययिता बरती जावे ।
5. कोई नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया जावे ।
6. लिपिक, भृत्य आदि को पृथक से न रखे जाये ।
7. शासन कोई अनुदान/बजट नहीं देगा ।
8. प्रवेश देने में प्रवेश नियमों का कड़ाई से पालन अनिवार्य रूप से किया जाये ।

1. सत्र 2006-07 से प्रवेश प्रारंभ करने के लिये शैक्षणिक स्टाफ की पर्याप्त व्यवस्था हो ।
2. प्रयोगशाला की संपूर्ण सुविधायें प्रवेश प्रारंभ करने के पूर्व की जाय ।
3. म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक एफ 19/1098/38-2/02 दिनांक 4.5.02 के अनुसार कार्यवाही की जावे ।
4. शासन द्वारा समय समय पर दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाये ।
5. यह प्रमाण पत्र किसी महाविद्यालय को तब तक विषय प्रारंभ करने/नई कक्षाएँ प्रारंभ करने के लिये अधिकृत नहीं करेगा जब तक अधिनियम 1973 की धारा 24(x) के द्वारा सम्बद्धता प्रदान नहीं कर दी जाती ।

(आयुक्त, उच्च शिक्षा के आदेशानुसार)

  
(डॉ. एच.के. तिवारी)  
अतिरिक्त संचालक  
उच्च शिक्षा म.प्र.

पृ.क्र. /1101/आउशि/यो/05  
प्रतिलिपि-

भोपाल, दिनांक-

1. कुलसचिव विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन म0प्र0 की ओर सूचनार्थ एवं धारा 24(x) के अंतर्गत शीघ्र प्रतिवेदन भेजने हेतु ।
2. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा क्षेत्रीय कार्यालय, इंदौर म.प्र. की ओर सूचनार्थ ।

(डॉ. राकेश श्रीवास्तव)  
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी  
उच्च शिक्षा म.प्र.

Noted  
5-1-06



"कार्यालय आयुक्त उच्चशिक्षा, मध्यप्रदेश शासन"  
 अशासकीय अतिरिक्त संस्थाओं से संबंधित शाखा  
 अतिरिक्त भाग इलाहाबाद हिल्स, भोपाल.

1312/13/131/संबं/99-2000

भोपाल दि०

कुलपति  
 देवी अहिल्या विश्वविद्यालय,  
 इंदौर ।

म०प्र०

आयुक्त उच्चशिक्षा द्वारा नामांकित दो विषय विशेषज्ञों बाबत  
 म०प्र०शासन, उ. शिक्षा वि. मंत्रालय के पत्र क्रमांक/एफ-73/103/बी/96/सी-3/  
 388 दिनांक 17.3.98.

उक्त संदर्भ में नये महाविद्यालयों/ नये विषयों की संबद्धता संबंधी कुलपति द्वारा,  
 नित्त समिति की संरचना के लिये आयुक्त द्वारा नामांकित दो विषय विशेषज्ञों के -  
 नाम एवं पते निम्नलिखित हैं.

नाम	संकाय	पता
श्री पंडित सिंह	बी. एस्. सी. में कम्प्यूटर एप्लीकेशन	विशेष कर्तव्यस्थ अतिरिक्त, उच्चशिक्षा संचालनालय, सतपुरा भवन, भोपाल. म. प्र.
श्री एस्. सी. इगुवाल	बी. एस्. सी. में माइक्रोबायोलॉजी-एक विषय	प्रोफेसर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, डॉ० डेरी सिंह गौर वि० वि० सागर ।

उक्त समिति संस्था/महाविद्यालय माध्यम विज्ञान महाविद्यालय, उज्जैन ।

1999-2000

बी. एस्. सी. में कम्प्यूटर एप्लीकेशन-एक विषय एवं  
 बी. एस्. सी. में माइक्रोबायोलॉजी-एक विषय ।

बधाएँ प्रारंभ करने हेतु निरीक्षण समिति की रिपोर्ट संलग्न प्रोफार्मा में भरकर कार्यालय  
 को भेजा जाऊँगा.

प्रोफार्मा.

अतिरिक्त संचालक.

पु.पत्रक्र० 1312/13/131/संबं/99-2000

भोपाल, दि० 10-8-99

प्रतिलिपि:-

उच्चशिक्षा इंदौर-उज्जैन संभाग मोती

1- अतिरिक्त संचालक । समिति के संयोजक ।

विश्वविद्यालय

म०प्र०

अध्यक्ष/प्राचार्य माध्यम विज्ञान स्वशासी महावि. उज्जैन-456010

ओ. एस्. डी. उच्चशिक्षा विभाग, मंत्रालय म०प्र०शासन, भोपाल. ।

SN Sharma  
 10/8/99

अतिरिक्त संचालक.



154/2818181

कार्यक्रम आयुक्त एवं शिक्षा महासचिव  
सतपुरा मध्य, भापाल

भापाल दिनांक 2-7-07

क्रमांक / 1000 / 635 / आ.शिक्षा / भा / 07

प्रति,  
सचिव,  
शासकीय पाठ्य विभाग मह विद्यालय  
उज्जैन (म.प्र.)

विषय: स्थितिकीय योजनात्मक पाठ्यक्रम प्रारंभ किए जाने संबंध में।  
संदर्भ- आपका पत्र क्रमांक 1463/2007 दिनांक 21.6.07

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्रावधानों के अंतर्गत आयुक्त एवं शिक्षा महासचिव द्वारा शासकीय पाठ्य विभाग में निम्न विहित शर्तों के अंतर्गत पाठ्य विभाग की कक्षाएं अस्थायी रूप से सत्र 2007-08 में प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की जाती है -

1. बी.एस.-सी. कानोस्यूरीकल कोमेस्ट्री प्रथम वर (अतिरिक्त विषय)

(1) नोट-

1. उक्त पाठ्यक्रम हेतु किसी को शासकीय सेवा में नियुक्त नहीं किया जाएगा।
2. कोई शासकीय अधिकारी/कर्मचारी स्वयंसेवक/पाठ्यक्रम के तहत मानदेय प्राप्त नहीं करेगा।
3. अध्यापन व्यवस्था अतिरिक्त विभागों को आमंत्रित कर की जाये।
4. विभिन्न मदी में किए जाने वाले धारा में पूर्ण मितव्यता परती जाये।
5. कोई नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया जाये।
6. शिक्षक भूत आदि पृथक से न रखे जाये।
7. शासन कोई अनुदान/कजट नहीं देगा।
8. प्रवेश देने में प्रवेश नियमों का कड़ाई से पालन अतिरिक्त रूप से किया जाये।
9. कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं होगा।
10. विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त किये बिना प्रवेश न दिये जाये।

1. सत्र 2007-08 न प्रवेश प्रारंभ करने के लिए शासकीय स्टाफ को पर्याप्त प्रत्यक्षता लः।
2. प्रयोगशाला की संपूर्ण सुविधाएँ प्रवेश प्रारंभ करने के पूर्व सुनिश्चित की जायें।
3. म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक एफ. / 19 / 1098 / 38-2 / 02 दिनांक 4.5.02 के अनुसार कार्यवाही की जाये।
4. शासन द्वारा समय समय पर दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
5. वह प्रमाण-पत्र किसी महाविद्यालय को तब तक विषय प्रारंभ करने/नई कक्षाएँ प्रारंभ करने के लिये अधिस्त नहीं करना जब तक अधिनियम 1973 की धारा 24(X)के अंतर्गत विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता प्रदान नहीं कर दी जाती।

(आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

*(Handwritten Signature)*  
(डॉ. के.डी. राय) अतिरिक्त सचालक उच्च शिक्षा, म.प्र.

पुष्टा क्रमांक / / 635 / आ.शिक्षा / भा / 07

भापाल दिनांक

प्रतिक्रिया

1. कुलसचिव, विद्यमान विश्वविद्यालय परतलम 6000 की ओर सूचनाओं एच.आर. 24(X) के अंतर्गत शीघ्र प्रतिक्रिया प्रदान हेतु।
2. अतिरिक्त सचालक, उच्च शिक्षा, इंदौर-उज्जैन तथा, इंदौर म.प्र. की ओर सूचनाएं।

*(Handwritten Signature)*  
12/2/10  
H-10

(डॉ. के.डी. राय) अतिरिक्त सचालक उच्च शिक्षा, म.प्र.

Principal

Govt. Mahavidyalaya, Satpura, Bhopal



कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश शासन  
 राजकीय संस्थाओं से संबंधित शाखा  
 मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल.

भोपाल दि०

1312/13/131/सं/99-2000

कृत  
 देवी अहिल्या विश्वविद्यालय,  
 इंदौर ।

आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा नामांकित दो विषय विशेषज्ञों बाबद .  
 मध्य प्रदेश शासन, उ. शिक्षा वि. मंत्रालय के पत्र क्रमांक/एफ-73/103/बी/96/सी-3/  
 38, दिनांक 17.02.98.

उक्त संद में नये महाविद्यालयों/ नये विषयों की संबद्धता संबंधी कुलपति द्वारा,  
 समिति की संरचना के लिये आयुक्त द्वारा नामांकित दो विषय विशेषज्ञों के  
 एवं पते निम्नलिखित हैं.

नाम	संकाय	पता
श्री पीके सिंह	बी. एस्. सी. में <u>कम्प्यूटर एप्लीकेशन</u> ।	विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च शिक्षा संचालनालय, सतपुड़ा भवन, भोपाल. म. प्र.
श्री एस्. सी. अग्रवाल	बी. एस्. सी. में <u>माइक्रोबायोलॉजी-एक विषय</u>	प्रोफेसर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, डा० हरी सिंह गौर वि० वि० सागर ।

उक्त समिति संस्था/महाविद्यालय माधव विज्ञान महाविद्यालय, उज्जैन ।  
 संख्या/999/2000 से बी. एस्. सी. में कम्प्यूटर एप्लीकेशन-एक विषय एवं  
बी. एस्. सी. में माइक्रोबायोलॉजी-एक विषय ।

कक्षाएँ प्रारंभ करने हेतु निरीक्षण समिति की रिपोर्ट संलग्न प्रोफार्मा में भरकर कार्यालय  
 में जमा करने का कष्ट करें.

संलग्न:-

1. प्रोफार्मा.
- 2.

पु०पत्रक्र० 1312/13/131/सं/99-2000/3884

प्रतिलिपि:-

1- देशीय अतिरिक्त संचालक समिति के संयोजक।  
 विभा. परिसर, इंदौर । विश्वविद्यालय

2- अध्यक्ष/प्राचार्य माधव विज्ञान स्वशास्त्री महावि. उज्जैन-456010

3- श्री. एस्. डी. उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय मध्य प्रदेश शासन, भोपाल. ।

अतिरिक्त संचालक.  
 412  
 भोपाल, दि० 10-8-99  
 उच्च शिक्षा इंदौर उज्जैन संभाग मोती

SNS Karim  
 10/8/99  
 अतिरिक्त संचालक.







कार्यालय आयुक्त उच्च, शिक्षा मध्यप्रदेश  
सतपुडा भवन, भोपाल

क्रमांक / 113 / 444 / आउशि / यो / 07

भोपाल, दिनांक 26-5-07

प्रति,

प्राचार्य,  
शासकीय माधव महाविद्यालय,  
उज्जैन (म.प्र.)


विषय: स्ववित्तीय योजनांतर्गत पाठ्यक्रम आरंभ करने हेतु अनापत्ति प्रदान करने बाबत ।  
संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 567 / 2007 दिनांक 6.3.07

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्रावधान 26(1)पांच के अंतर्गत आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा आपके महाविद्यालय में निम्न लिखित शर्तों के अंतर्गत नीचे दर्शित विषयों की कक्षाएँ अस्थायी रूप से सत्र 2007-08 से प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान की जाती है :-

(1) बी.एस-सी. इलेक्ट्रॉनिक्स एवं प्रायोगिक विषय प्रारम्भ

नोट:-

1. उक्त पाठ्यक्रम हेतु किसी को शासकीय सेवा में नियुक्त नहीं किया जायेगा ।
  2. कोई शासकीय अधिकारी / कर्मचारी स्ववित्तीय पाठ्यक्रम के तहत मानदेय प्राप्त नहीं करेगा ।
  3. अध्यापन व्यवस्था अतिथि विद्वानों को आमंत्रित कर की जावे ।
  4. विभिन्न मदों में किए जाने वाले व्यय में पूर्ण मितव्ययता बरती जावे ।
  5. कोई नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया जावे ।
  6. लिपिक, भृत्य आदि पृथक से न रखे जाये ।
  7. शासन कोई अनुदान / बजट नहीं देगा ।
  8. प्रवेश देने में प्रवेश नियमों का कड़ाई से पालन अनिवार्य रूप से किया जाये ।
  9. कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं होगा ।
  10. विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त किये बिना प्रवेश न दिये जायें ।
1. सत्र 2007-08 से प्रवेश प्रारम्भ करने के लिये शैक्षणिक स्टाफ की पर्याप्त व्यवस्था हो ।
  2. प्रयोगशाला की संपूर्ण सुविधायें प्रवेश प्रारम्भ करने के पूर्व सुनिश्चित की जाय ।
  3. म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक एफ./19/1098/38-2/02 दिनांक. 4.5.02 के अनुसार कार्यवाही की जावे ।
  4. शासन द्वारा समय समय पर दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाये ।
  5. यह प्रमाण-पत्र किसी महाविद्यालय को तब तक विषय प्रारम्भ करने / नई कक्षाएँ प्रारम्भ करने के लिये अधिकृत नहीं करेगा जब तक अधिनियम 1973 की धारा 24(X) के अंतर्गत विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता प्रदान नहीं कर दी जाती ।



(डॉ. यू.सी.जैन)  
अतिरिक्त संचालक  
उच्च शिक्षा, म.प्र.


भोपाल, दिनांक

पृष्ठा क्रमांक / / 444 / आउशि / यो / 07

प्रतिलिपि-

1. कुल सचिव विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन म0प्र0 की ओर सूचनार्थ एवं धारा 24(X) के अंतर्गत शीघ्र प्रतिवेदन भेजने हेतु ।
2. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा उज्जैन-इंदौर संभाग, इंदौर म.प्र. की ओर सूचनार्थ ।

माधव विश्वविद्यालय  
आपका पत्र प्रेषित  
शुभ आशय



(डॉ. यू.सी.जैन)  
अतिरिक्त संचालक  
उच्च शिक्षा, म.प्र.

श्री गणेशाय नमः  
श्री गणेशाय नमः  
श्री गणेशाय नमः  
श्री गणेशाय नमः  
2-6-07



कार्यालय आयुक्त उच्च, शिक्षा मध्यप्रदेश  
सतपुडा भवन, भोपाल

क्रमांक/ 1973 / 444 / आउशि / यो / 07

भोपाल, दिनांक 26-5-07

प्रति

प्राचार्य  
शासकीय माधव महाविद्यालय,  
उज्जैन (म.प्र.)

विषय: स्ववित्तीय योजनांतर्गत पाठ्यक्रम आरंभ करने हेतु अनापत्ति प्रदान करने बाबत ।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 567/2007 दिनांक 6.3.07


विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्रावधान 26(1)पांच के अंतर्गत आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा आपके महाविद्यालय में निम्न लिखित शर्तों के अंतर्गत नीचे दशित विषयों की कक्षाएं अस्थायी रूप से सत्र 2007-08 से प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की जाती है :-

११

(1) वी.एस-सी. इलेक्ट्रानिक्स एवं प्रायोगिक विषय प्रारंभ

नोट:-

- उक्त पाठ्यक्रम हेतु किसी को शासकीय सेवा में नियुक्त नहीं किया जायेगा ।
- कोई शासकीय अधिकारी/कर्मचारी स्ववित्तीय पाठ्यक्रम के तहत मानदेय प्राप्त नहीं करेगा ।
- अध्यापन व्यवस्था अतिथि विद्वानों को आमंत्रित कर की जावे ।
- विभिन्न भवनों में किए जाने वाले व्यय में पूर्ण मितव्यता बरती जावे ।
- कोई नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया जावे ।
- लिपिफ, भृत्य आदि पृथक से न रखे जाये ।
- शासन कोई अनुदान/बजट नहीं देगा ।
- प्रवेश देने में प्रवेश नियमों का कड़ाई से पालन अनिवार्य रूप से किया जावे ।
- कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं होगा ।
- विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त किये बिना प्रवेश न दिये जायें ।
- सत्र 2007-08 से प्रवेश प्रारंभ करने के लिये शैक्षणिक स्टाफ को पर्याप्त व्यवस्था हो ।
- प्रयोगशाला की संपूर्ण सुविधायें प्रवेश प्रारंभ करने के पूर्व सुनिश्चित की जाय ।
- म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक एफ./19/1098/38-2/02 दिनांक 4.5.02 के अनुसार कार्यवाही की जावे ।
- अभ्यस्तन द्वारा समय समय पर दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित किया जावे ।
- यह प्रमाण-पत्र किसी महाविद्यालय को तब तक विषय प्रारंभ करने/नई कक्षाएं प्रारंभ करने के लिये अधिकृत नहीं करेगा जब तक अधिनियम 1973 की धारा 24(X) के अंतर्गत विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता प्रदान नहीं कर दी जाती ।



(डॉ. यू.सी.जैन)  
अतिरिक्त संचालक  
उच्च शिक्षा, म.प्र.

पृष्ठा क्रमांक/ 1973 / 444 / आउशि / यो / 07

भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपि-

- कुल सचिव, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं धारा 24(X) के अंतर्गत शीघ्र प्रतिवेदन भेजने हेतु ।
- अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा उज्जैन-इंदौर संभाग, इंदौर म.प्र. की ओर सूचनार्थ ।

माधव महाविद्यालय  
आपका पत्र-प्रतिक्रिया  
दिखा जाये

(डॉ. यू.सी.जैन)  
अतिरिक्त संचालक  
उच्च शिक्षा, म.प्र.

137  
02/05/07

Handwritten signatures and dates at the bottom right, including '26-5-07'.



उच्च शिक्षा विभाग  
— सहायक सचिव, संपन्न

दिनांक 22-6-09


क्रमांक 694/2009  
आजारी/ध/09

**शासकीय माध्यम शिक्षा महाविद्यालय,  
उज्जैन**

विषय: स्ववित्तीय योजनातहत नवीन पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु अनापातल प्रदान करने बाबत।  
दिनांक 18-6-2009

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्रावधान 26(1) पाठ के अंतर्गत आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा आपके महाविद्यालय में निम्न लिखित शर्तों के अंतर्गत नीचे दर्शित विषयों की कक्षाएँ अस्थायी रूप से सत्र 2009-10 में प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान की जाती है -

डी.टी.ए. इंजनरिंग कम्प्यूटर एप्लीकेशन, प्रथम वर्ष



- नोट:-
1. उक्त पाठ्यक्रम हेतु किसी को शासकीय सेवा में नियुक्त नहीं किया जाएगा।
  2. कोई शासकीय अधिकारी/कर्मचारी स्ववित्तीय पाठ्यक्रम के तहत मानदेय प्राप्त नहीं करेगा।
  3. अध्यापन व्यवस्था अतिथि विद्वानों को आमंत्रित कर की जाये।
  4. विभिन्न मर्दानों में किए जाने वाले व्यय में पूर्ण मिलवृत्ता बरती जाये।
  5. कोई नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया जाये।
  6. लिपिक, भूतम आदि पृथक से न रखे जाये।
  7. शासन कोई अनुदान/बजट नहीं देगा।
  8. प्रवेश देने में प्रवेश नियमों का कड़ाई से पालन अनिवार्य रूप से किया जाये।
  9. कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं होगा।
  10. विश्वविद्यालय से सन्वद्धता प्राप्त किये बिना प्रवेश न दिये जाये।

1. सत्र 2009-10 में प्रवेश प्रारम्भ करने के लिये शैक्षणिक स्टाफ की पर्याप्त व्यवस्था हो।
2. प्रयोगशाला की संपूर्ण सुविधाये प्रवेश प्रारम्भ करने के पूर्व सुनिश्चित की जाय।
3. म.प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक एच/331/1589/2007/2/38 दिनांक 18.2.08 के अनुसर कार्यावाही की जाये।
4. शासन द्वारा समय-समय पर दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
5. यह प्रमाण-पत्र किसी महाविद्यालय को तब तक विषय प्रारम्भ करने/नई कक्षाएँ प्रारम्भ करने के लिये अधिगत नहीं करेगा जब तक कि प्रारम्भ करने/नई कक्षाएँ प्रारम्भ करने के धारा 24(X) के अंतर्गत विश्वविद्यालय द्वारा सन्वद्धता प्रदान नहीं कर दी जाती।

(आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

संयुक्ता संचालक (योजना)  
उच्च शिक्षा, म.प्र.  
उज्जैन दिनांक

क्रमांक 694/2009 / आजारी/ध/09  
प्रतिबिम्बि-

*[Handwritten signature]*

1. कुल दंडाधिकार, उज्जैन विश्वविद्यालय उज्जैन म.प्र. की ओर सूचनाएं एवं धारा 24(X) के अंतर्गत शीघ्र प्रेषित करने हेतु
2. अतिरिक्त संचालक एवं संचालक (योजना) उच्च शिक्षा, म.प्र. उज्जैन

न. हेमदामो

संचालक (योजना)  
उच्च शिक्षा, म.प्र.



कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, म०प्र० शासन  
सतपुड़ा भवन, भोपाल-462004

कमांक / 652 / आउशि / योजना / 2012,  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 14-5-12

1028  
प्राचार्य,  
शासकीय माधव विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय,  
उज्जैन, म०प्र०

विषय:- स्ववित्तीय योजनान्तर्गत नवीन पाठ्यक्रम एम.एस.सी. एप्लाइड माइक्रोबायलाजी पूर्वाई की कक्षाएँ प्रारम्भ करने हेतु (नवीनीकरण) अनापत्ति प्रदान करने बाबत ।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 1042/11, दिनांक 11.4.12.

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्रावधान 26(1) पांच के आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा आपके महाविद्यालय में निम्नलिखित शर्तों के अंतर्गत नीचे दर्शित विषय की कक्षाएँ अस्थाई रूप से सत्र 2012-13 से प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, म.प्र. शासन, सतपुड़ा भवन, भोपाल के आदेश कमांक 833/371/आउशि/यो/11, दिनांक 14.7.2011 के द्वारा एम.एस.सी. एप्लाइड माइक्रोबायलाजी पूर्वाई की कक्षाएँ वर्ष 2011-12 से प्रारंभ करने की दी गई अनुमति को निरस्त करते हुये यह विषय सत्र 2012-13 से प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

नोट -

1. उक्त पाठ्यक्रम हेतु किसी को शासकीय सेवा से नियुक्त नहीं किया जायेगा ।
2. कोई शासकीय अधिकारी/कर्मचारी स्ववित्तीय पाठ्यक्रम के तहत मानदेय प्राप्त नहीं करेगा ।
3. अध्ययन व्यवस्था अतिथि विद्वानों को आमंत्रित कर की जावे ।
4. विभिन्न मदों में किये जाने वाले व्यय गेँ पूर्ण मितव्यता बरती जाये ।
5. कोई नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया जावे ।
6. लिपिक, भृत्य आदि पृथक से न रखे जाये ।
7. शासन कोई अनुदान/बजट नहीं देगा ।
8. प्रवेश देने में प्रवेश प्रयोगों का कड़ाई से पालन अनिवार्य रूप से किया जाये ।
9. कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं होगा ।
10. विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त किये बिना प्रवेश न दिये जाये ।

1. वर्ष 2012-13 से प्रवेश प्रारंभ करने के लिये शैक्षणिक स्टाफ की पर्याप्त व्यवस्था हो ।
2. प्रयोगशाला की संपूर्ण सुविधाएँ प्रवेश प्रारंभ करने के पूर्व सुनिश्चित की जाय ।
3. म०प्र० शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय के पत्र कमांक एफ/331/1569/2007/2/38 दिनांक 18.2.2008 के अनुसार कार्यवाही की जाये ।
4. शासन द्वारा समय समय पर दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित किया जावे ।
5. यह प्रमाण पत्र किसी महाविद्यालय को तब तक विषय प्रारंभ करने/नई कक्षाएँ प्रारंभ करने के लिये अधिकृत नहीं करेगा, जब तक अधिनियम 1973 की धारा 24(X) के अंतर्गत विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता प्रदान नहीं कर दी जाती ।  
(आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

पृ०क्रमांक / 652 / आउशि / योजना / 12  
प्रतिनिधि:-

अतिरिक्त संचालक योजना  
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश  
भोपाल, दिनांक

1. कुलसचिव, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन, म०प्र० की ओर सूचनार्थ एवं धारा 24(X) के अंतर्गत शीघ्र प्रतिवेदन भेजने हेतु ।
2. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, इन्दौर-उज्जैन संभाग, इन्दौर ।
3. प्रभारी आईटी सेल, कृपया विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावे ।  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

प्रो. पांडे

22-5-12



अतिरिक्त संचालक योजना  
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश



1496

267 आर/शि/सो/10

भोपाल, दिनांक 04-11-2010

**राजकीय स्नातकोत्तर माध्यम विज्ञान महाविद्यालय,  
उज्जैन 481005**

देख: स्ववित्तीय क्षेत्रगततमंत मधीन पाठ्यक्रम प्रारंभ करणे हेतु अनापत्ति प्रदान करणे बाबत ।  
आपका पत्र क्रमांक 383/10 दिनांक 12.9.2010

वैश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्रावधान 20(1)प्रति को अंतर्गत लागूकृत उच्च शिक्षा द्वारा  
उच्च शिक्षा विभाग में निम्न लिखित शर्तों को अंतर्गत भीषे पश्चित विषयों की कक्षाएं आरम्भागी रूप से  
2010-11 से प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की जाती है :-


**रम. रत. ती. द्रुत रमह मजार्-तुटिकल केमेस्ट्री**

- 1. उक्त पाठ्यक्रम हेतु किसी को शासकीय सेवा में नियुक्त नहीं किया जायेगा ।
- 2. कोई शासकीय अधिकारी/कर्मचारी स्ववित्तीय पाठ्यक्रम को तहत मानवेश प्राप्त नहीं करेगा
- 3. अन्वयन व्यवस्था अतिथि विद्वानों को आर्गन्वित कर की जाये ।
- 4. विभिन्न मदों में किए जाने वाले व्यय में पूर्ण गितव्यता बरती जाये ।
- 5. कोई नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया जाये ।
- 6. लिखित मूल्य आदि पृथक से न रखे जाये ।
- 7. शासन कोई अनुदान/बजट नहीं देगा ।
- 8. प्रवेश देने में प्रवेश विद्यार्थी का कक्षाई से पालन अनिवार्य रूप से किया जाये ।
- 9. कोई स्थावित नियुक्त नहीं होगा ।
- 10. विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त विद्ये बिना प्रवेश न दिये जाये ।

सत्र 2010-11 से प्रवेश प्रारंभ करने के लिये शैक्षणिक स्टाफ की पर्याप्त व्यवस्था हो ।


- 1. प्रयोगशाला की संपूर्ण सुविधाएं प्रवेश प्रारंभ करने के पूर्व सुनिश्चित की जाय ।
- 2. म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक एन.351/1569/2007/2/35 दिनांक, 13.2.08 के अनुसार कार्यवाही की जाये ।
- 3. शासन द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाये ।
- 4. यह प्रमाण-पत्र किसी महाविद्यालय को तब तक विषय प्रारंभ करने/नई कक्षाएं प्रारंभ करने के लिये अधिभूत नहीं करेगा जब तक अधिनियम 1973 की धारा 24(X)के अंतर्गत विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता प्रदान नहीं कर दी जाती ।

(आयुक्ता उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

  
संयुक्ता संचालक (योजना)  
उच्च शिक्षा, ग.प्र.  
भोपाल, दिनांक

क्रमांक /267/ आर/शि/सो/10  
प्रतिलिपि-

- 1. कुल सचिव, विद्युत विश्वविद्यालय, उज्जैन को 0500 की ओर सूचनाएं एवं धारा 24(X) के अंतर्गत शीघ्र प्रतिबंधन भेजने हेतु ।
- 2. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा क्षेत्रीय कार्यालय, इन्दौर-उज्जैन तथा इन्दौर की ओर सूचनाएं प्रेषित ।

प्री 914510  


Principal

संयुक्ता संचालक (योजना)  
उच्च शिक्षा, ग.प्र.





क्रमांक 521/299 / आउशि/यो/10

भोपाल, दिनांक 25-5-11

श्रीवाच,   
शासकीय माध्यम विज्ञान महाविद्यालय,   
उज्जैन 480008

विषय: स्ववित्तीय रोजगारगत नवीन पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति प्रदान करने बाबत ।  
संदर्भ:-आपका पत्र क्रमांक 743/4-1 दिनांक 17.3.2011

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्रावधान 26(1) पाठ के अंतर्गत आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा आपक महाविद्यालय में निम्न लिखित शर्तों के अंतर्गत नीचे दर्शित विषयों की कक्षाएँ अस्थायी रूप से सत्र 2011-12 प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की जाती है :-

एम. एम. टी. गणित, धुबाँद

नोट:-

1. उक्त पाठ्यक्रम हेतु किसी को शासकीय सेवा में नियुक्त नहीं किया जायेगा ।
2. कोई शासकीय अधिकारी/कर्मचारी स्ववित्तीय पाठ्यक्रम के तहत मानदेय प्राप्त नहीं करेगा ।
3. अध्यापन व्यवस्था अतिथि विद्वानों को आमंत्रित कर की जावे ।
4. विभिन्न मर्तों में किए जाने वाले व्यय में पूर्ण मिलव्यता प्ररती जावे ।
5. कोई नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया जावे ।
6. लिपिक, मुक्त आदि पृथक से न रखे जावे ।
7. शासन कोई अनुदान/वजट नहीं देगा ।
8. प्रवेश देने में प्रवेश नियमों का कड़ाई से पालन अनिवार्य रूप से किया जाये ।
9. कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं होगा ।
10. विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त किये बिना प्रवेश न दिये जायें ।

1. सत्र 2011-12 में प्रवेश प्रारंभ करने के लिये शैक्षणिक स्टाफ की पर्याप्त व्यवस्था हो ।
2. प्रयोगशाला वगैरे संपूर्ण सुविधायें प्रवेश प्रारंभ करने के पूर्व सुनिश्चित की जाय ।
3. म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक एफ./331/1569/2007/2/38 दिनांक 18.2.08 के 3 नुसार कार्यवाही की जावे ।
4. शासन द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाये ।
5. यह प्रमाण-पत्र किसी महाविद्यालय को तब तक विषय प्रारंभ करने/नई कक्षाएँ प्रारंभ करने के लिये अत्रिक्त नहीं करेगा जब तक अधिनियम 1973 की धारा 24(X) के अंतर्गत विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता प्रदान नहीं कर दी जाती ।

(आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

विशेष कार्यवाही अधिकारी योजना  
उच्च शिक्षा, म.प्र. 25/5/11  
भोपाल, दिनांक

क्रमांक 299 / आउशि/यो/10  
प्रतिलिपि-

1. कुल सचिव, बिबुम विश्वविद्यालय उज्जैन 480008 की ओर सूचनार्थ एवं धारा 24(X) के अंतर्गत शर्तों के प्रतिवेदन भेजने हेतु ।
2. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा क्षेत्रीय कार्यालय, इन्दौर संभाग इन्दौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

विशेष कार्यवाही अधिकारी योजना  
उच्च शिक्षा, म.प्र.





कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, म० प्र० शासन  
सतपुड़ा भवन, भोपाल-462004

क्रमांक 486/84/आउशि/योजना/2017  
प्रति,

भोपाल, दिनांक:- 29/05/2017

प्राचार्य,  
शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय,  
उज्जैन (म.प्र.)

विषय:- स्ववित्तीय योजनान्तर्गत सत्र 2017-18 हेतु (1) पी.जी.डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन (2) पी.जी. डिप्लोमा इन योगा (दो नये विषय) की निरन्तरता हेतु अनापत्ति प्रदान करने बाबत।  
संदर्भ:- पत्र क्रमांक 157 दिनांक 07/02/2017।

—00—

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्रावधान 26(1) पांच के अधीन आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा आपके महाविद्यालय में निम्नलिखित शर्तों के अंतर्गत नीचे दर्शित विषय की कक्षाएँ अस्थाई रूप से सत्र 2017-18 से प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

(1) पी.जी.डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन (2) पी.जी. डिप्लोमा इन योगा - प्रथम वर्ष

नोट -

1. उक्त पाठ्यक्रम हेतु किसी को शासकीय सेवा से नियुक्त नहीं किया जायेगा।
2. कोई शासकीय अधिकारी/कर्मचारी स्ववित्तीय पाठ्यक्रम के तहत मानदेय प्राप्त नहीं करेगा।
3. अध्ययन व्यवस्था अतिथि विद्वानों को आमंत्रित कर की जावे।
4. विभिन्न मदों में किये जाने वाले व्यय में पूर्ण मितव्ययता बरती जाये।
5. कोई नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया जावे।
6. लिपिक, मृत्य आदि पृथक से न रखे जाये।
7. शासन कोई अनुदान/बजट नहीं देगा।
8. प्रवेश देने में प्रवेश नियमों का कड़ाई से पालन अनिवार्य रूप से किया जाये।
9. कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं होगा।
10. विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त किये बिना प्रवेश न दिये जाये।

1. वर्ष 2017-18 से प्रवेश प्रारम्भ करने के लिये शैक्षणिक स्टाफ की पर्याप्त व्यवस्था हो।
  2. प्रयोगशाला की संपूर्ण सुविधाएँ प्रवेश प्रारम्भ करने के पूर्व सुनिश्चित की जाये।
  3. म० प्र० शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय के पत्र क्रमांक एफ/331/1569/2007/2/38 दिनांक 18.2.2008 के अनुसार कार्यवाही की जाये।
  4. शासन द्वारा समय समय पर दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित किया जावे।
  5. यह प्रमाण पत्र किसी महाविद्यालय को तब तक विषय प्रारंभ करने/नई कक्षाएँ प्रारंभ करने के लिये अधिकृत नहीं करेगा, जब तक अधिनियम 1973 की धारा 24(X) के अंतर्गत विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता प्रदान नहीं कर दी जाती।
- (आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

*A. K. Singh*  
29.5.17  
(डॉ. अनिल कुमार पाठक)  
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी  
उच्च शिक्षा, म.प्र.  
भोपाल, दिनांक: 29/05/2017

पू० क्रमांक 487/84/आउशि/योजना/2017  
प्रतिलिपि:-

1. कुलसचिव, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन म० प्र० की ओर सूचनार्थ एवं धारा 24(X) के अंतर्गत शीघ्र प्रतिवेदन भेजने हेतु।
2. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, उज्जैन संभाग, उज्जैन।
3. प्रभारी आईटी सेल, कृपया विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावे।  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

*A. K. Singh*  
29.5.17  
(डॉ. अनिल कुमार पाठक)  
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी  
उच्च शिक्षा, म.प्र.



कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, म० प्र० शासन  
सतमुड़ा भवन, भोपाल-462004

क्रमांक 486/84/आउशि/योजना/2017  
प्रति,

भोपाल, दिनांक:- 29/05/2017

प्राचार्य,  
शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय,  
उज्जैन (म.प्र.)

विषय:- स्ववित्तीय योजनान्तर्गत सत्र 2017-18 हेतु (1) पी.जी.डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन (2) पी.जी.  
डिप्लोमा इन योगा (दो नये विषय) की निरन्तरता हेतु अनापत्ति प्रदान करने बाबत।  
संदर्भ:- पत्र क्रमांक 157 दिनांक 07/02/2017 ।

—00—

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्रावधान 26(1) पांच के अधीन आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा आपके  
महाविद्यालय में निम्नलिखित शर्तों के अंतर्गत नीचे दर्शित विषय की कक्षाएँ अस्थाई रूप से सत्र 2017-18 से प्रारंभ  
करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

(1) पी.जी.डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन (2) पी.जी. डिप्लोमा इन योगा - प्रथम वर्ष

नोट -

1. उक्त पाठ्यक्रम हेतु किसी को शासकीय सेवा से नियुक्त नहीं किया जायेगा ।
2. कोई शासकीय अधिकारी/कर्मचारी स्ववित्तीय पाठ्यक्रम के तहत मानदेय प्राप्त नहीं करेगा ।
3. अध्ययन व्यवस्था अतिथि विद्वानों को आमंत्रित कर की जावे ।
4. विभिन्न मदों में किये जाने वाले व्यय में पूर्ण मितव्ययता बरती जाये ।
5. कोई नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया जावे ।
6. लिपिक, मृत्य आदि पृथक से न रखे जाये ।
7. शासन कोई अनुदान/बजट नहीं देगा ।
8. प्रवेश देने में प्रवेश नियमों का कड़ाई से पालन अनिवार्य रूप से किया जाये ।
9. कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं होगा ।
10. विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त किये बिना प्रवेश न दिये जाये ।

1. वर्ष 2017-18 से प्रवेश प्रारम्भ करने के लिये शैक्षणिक स्टाफ की पर्याप्त व्यवस्था हो ।
  2. प्रयोगशाला की संपूर्ण सुविधाएँ प्रवेश प्रारम्भ करने के पूर्व सुनिश्चित की जाये ।
  3. म० प्र० शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय के पत्र क्रमांक एफ/331/1569/2007/2/38  
दिनांक 18.2.2008 के अनुसार कार्यवाही की जाये ।
  4. शासन द्वारा समय समय पर दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित किया जावे ।
  5. यह प्रमाण पत्र किसी महाविद्यालय को तब तक विषय प्रारम्भ करने/नई कक्षाएँ प्रारम्भ करने के  
लिये अधिकृत नहीं करेगा, जब तक अधिनियम 1973 की धारा 24(x) के अंतर्गत विश्वविद्यालय  
द्वारा संबद्धता प्रदान नहीं कर दी जाती ।
- (आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

(डॉ. अनिल कुमार पाठक)

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी

उच्च शिक्षा, म.प्र.

भोपाल, दिनांक: 29/05/2017

पू० क्रमांक 487/84/आउशि/योजना/2017  
प्रतिलिपि:-

1. कुलसचिव, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन म० प्र० की ओर सूचनार्थ एवं धारा 24(X) के अंतर्गत शीघ्र  
प्रतिवेदन भेजने हेतु ।
2. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, उज्जैन संभाग, उज्जैन ।
3. प्रमारी आईटी सेल, कृपया विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावें ।  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(डॉ. अनिल कुमार पाठक)

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी

उच्च शिक्षा, म.प्र.



कक्षा/ 901 / 411 / आउशि / 20/11  
 दिनांक 27-7-11

शासकीय माध्यम विद्यालय, मधव विद्यालय,  
 उज्जैन-505001

विषय: स्वदेशीय पोषणालय पर प्रयोग प्रस्तावना प्रस्तुत करने हेतु अधिनियम प्रदान करने का प्रस्ताव।  
 दिनांक: 1-3-94/11 दिनांक: 1.12.2011

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्रावधान 26(1) पर ध्यान देकर अधिनियम प्रदान करने का प्रस्ताव।  
 अधिनियम प्रदान करने के अंतर्गत राष्ट्रीय अधिनियम प्रदान करने की शक्ति अधिनियम 2011-12 से प्रस्ताव प्रदान की अनुमति प्रदान की जाती है।

**पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इनेगर्ग्युएटिव क्वालिटी इन्फ्रीम एण्ड  
 एकाडमिक रेशपोरेस प्रैक्टिस**

1. उक्त माध्यम हेतु किसी को स्वदेशीय सेवा में नियुक्त नहीं किया जायेगा।
2. कोई शासकीय अधिकारी/कर्मचारी स्वदेशीय पाठ्यक्रम के तहत मानदंड प्राप्त नहीं करेगा।
3. अध्यापन व्यवस्था अधिनियम प्रदान करने के अंतर्गत प्रदान की जायेगी।
4. दिनांक: तदनुसार ही प्रदान करने के लिए प्रदान करने की जायेगी।
5. कोई नियुक्ति: तदनुसार ही प्रदान करने की जायेगी।
6. शिक्षक, भूयः कतिपय प्रदान करने की जायेगी।
7. प्रस्ताव: तदनुसार ही प्रदान करने की जायेगी।
8. प्रस्ताव: तदनुसार ही प्रदान करने की जायेगी।
9. कोई नियुक्ति: तदनुसार ही प्रदान करने की जायेगी।
10. विश्वविद्यालय की प्रत्यक्षता प्रदान करने के लिए प्रदान करने की जायेगी।

1. 2011-12 से प्रवेश प्रारम्भ करने के लिए वार्षिक स्टाफ की पर्याप्त व्यवस्था हो।
2. तदनुसार ही प्रदान करने के लिए प्रदान करने की जायेगी।
3. तदनुसार ही प्रदान करने के लिए प्रदान करने की जायेगी।
4. तदनुसार ही प्रदान करने के लिए प्रदान करने की जायेगी।

श्री. 9712512  
 27-7-11

(आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

अतिरिक्त निदेशक (उच्च शिक्षा)  
 उच्च शिक्षा, म.प्र.  
 गोंयास, विन्ध्य

कक्षा/ 411 / आउशि / 20/11

1. कुल सचिव, विद्यालय विश्वविद्यालय, उज्जैन 505001 की ओर सुपरवाइजरी कर 26(1) के अंतर्गत ही प्रदान करने की जायेगी।
2. अधिनियम प्रदान करने के लिए प्रदान करने की जायेगी।

अतिरिक्त निदेशक (योजना)  
 उच्च शिक्षा, म.प्र.

Principal  
 Govt. Madhav Vigyan Mahavidhyalaya  
 UJJAIN (M.P.)